

9/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र
अप.। इन्तजार भादेश राजस्व मण्डल भजमे
दिनांक 28/6/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर(मु.)सीकर

28/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र
अप.। पत्रावली पेश दिनांक 25/7/22
को अप.। वकील उमयपत्र (अप.।) का
अप.। अप.। वकील उमयपत्र (अप.।) का
पत्रावली पेश दिनांक 25/7/22 को पेश हो।
अप.। पत्रावली पेश दिनांक 25/7/22
को पेश हो। 1.00 रुपये काड अप.। पर
हो।

25/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र अप.।
पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ धीरे पर/
अप.। पर/ है। पत्रावली पूर्व आवेदन
दिनांक 1/9/22 को पेश है।

Abh

1/9/22
पत्रावली पेश
नहीं पाई

(अज्ञान निरासी)
महल
1/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र
स्वयं उपस्थित। वकील वकील उपस्थित।
वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील
एवं वकील वकील ने निवेदन किया
कि दावा को आगे चलाना
नहीं चाहते। वकील के आदेश
शर्त पर दस्तावर लिख गए।
वकील की पर चाल वकील वकील
महेश कुमार पटेल ने की तथा
दस्तावर लिख। अतः वकील एवं

सहायक कलेक्टर(मु.)सीकर

न्यायालय

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बनाम

पु.जा.नं. 88/2015

किस्म मुकदमा

दादा

ग.पी.मु. नं.

74

वर्ष

2021

दिनांक

आज्ञा-पत्र

वकील पट्टी के अनुशेष पर दादा नोट प्रेंस में खारिज किया जाता है पत्रावली फौजिल नुमाद होकर बाहर कार्यवाही फौरिन प्रकृत होगी।

1/9/22

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 1/9/22

को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/9/22

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर